



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(फोन: 0141-227481, 2227555, फैक्स: 2227602, हेल्पलाईन: 2385877)

ईमेल: rj-slsa@nic.in rslsajp@gmail.com वेब साईट: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: रालसा / परिपत्र / 1 / 2015

दिनांक 24.01.2015

परिपत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अध्याय-6, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम 2009 एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999 के अध्याय-5 में लोक अदालत आयोजित करने के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत प्रावधान दिये गये हैं जिन्हे आगे “उक्त विधिक प्रावधानों” से संबोधित किया जा रहा है (सुलभ संदर्भ के लिए प्रतियौं संलग्न हैं)।

वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार लोक अदालतों का आयोजन नहीं हो रहा है बल्कि संबंधित न्यायालयों द्वारा अपने स्तर पर किये जा रहे निम्न प्रकृति के निस्तारण को लोक अदालत के निस्तारण में शामिल किया जा रहा है—

- लोक अदालत या अन्य किसी निकाय के प्रयास के बिना पक्षकारों द्वारा स्वयमेव किए गये राजीनामा के आधार पर संबंधित न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निस्तारण
- न्यायालय द्वारा गैर राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों में राजीनामा या जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया गया प्रकरणों का निस्तारण
- सोटर वाहन अधिनियम के चालान, पुलिस एकट व नगरपालिका अधिनियम जैसे लघु प्रकृति के अपराधों में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरणों का संबंधित न्यायालय में निस्तारण
- लोक अदालत या ऐसे ही किसी निकाय के प्रयास के बिना राज्य सरकार द्वारा वापिस लिए गये मामले
- लोक अदालत या अन्य ऐसे ही किसी निकाय के प्रयास या प्रेरणा के बिना रुटीन में या अभियान के तौर पर निस्तारित प्रशासनिक या न्यायिक मामले।

यद्यपि लघु प्रकृति के न्यायिक एवं प्रशासनिक मामलों का नियमित रूप से अभियान के तौर पर निस्तारण जारी रखना है और उनके आंकड़े अलग से प्रेषित करने हैं लेकिन उपरोक्त प्रकृति का निस्तारण लोक अदालत के निस्तारण में शामिल करना विधिसम्मत नहीं है अतः पूरे प्रदेश में “उक्त विधिक प्रावधानों” के अनुरूप लोक अदालतों के आयोजन में एकरूपता रहे, लोक अदालत में गैर राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों को शामिल करने से या अन्यथा उक्त विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो तथा सिर्फ निस्तारण के आंकड़े बढ़ाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का

21

दुरुपयोग नहीं हो, इस दृष्टि से माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में निम्न दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

लोक अदालतों का आयोजन

उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी कलैण्डर में निर्धारित तिथियों पर लोक अदालतों आयोजित करने के साथ-साथ जिला एवं तालुका मुख्यालय पर प्रत्येक माह के अन्तिम सोमवार (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस) को नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन करें।

प्रकरणों की संख्या ज्यादा होने पर एक से अधिक दिन एवं अवकाश के दिन भी लोक अदालतों आयोजित करें।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम 2009 के विनियम 8 तथा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999 के विनियम 29 में अवकाश के दिन लोक अदालत लगाने का प्रावधान है ताकि लोक अदालत बैच, संबंधित पक्षकार व अधिवक्तागण को लोक अदालत के माध्यम से सुलहवार्ता हेतु पर्याप्त समय मिले, वे एकाग्रता पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें, न्यायालय के दैनिक काम काज में व्यवधान नहीं हो एवं लोक अदालत आयोजन के लिये स्वतंत्र स्थान व सभी सुविधायें उपलब्ध हो सकें। इसी बजह से देश में लगभग सभी स्थानों पर अवकाश के दिन लोक अदालतों लगाई जा रही है जिन्हें भारी सफलता मिल रही है।

अतः कृपया अभिभाषकगण एवं सभी संबंधित लोगों को साफ तौर पर बतायें कि अवकाश के दिन आम दिनों की भाँति कार्य दिवस नहीं रहेगा। उस दिन सिर्फ लोक अदालत को रेफर किये गये प्रकरणों से संबंधित पक्षकार उनके अधिवक्तागण, लोक अदालत बैच के सदस्यगण और बैच के साथ नियुक्त चार कर्मचारी ही उपस्थित होंगे, शेष लोगों को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की इसी प्रकार की सभी भ्रान्तियों का निवारण करें, उनकी जिज्ञासाओं एवं आशंकाओं का समाधान करें और पूरे देश की भाँति अपने यहाँ भी अवकाश के दिन लोक अदालत का आयोजन सफल बनाने के प्रयास करें।

लोक अदालत बैच का गठन

उक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार लोक अदालत बैच में न्यूनतम 2 व अधिकतम 3 सदस्य होंगे जिनमें एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा तथा दूसरे सदस्य विधि व्यवसायी / समाजसेवी आदि में से होंगे।

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर सेवारत न्यायिक अधिकारी को शामिल करते हुए लोक अदालत बैच का गठन किया जाएगा, लेकिन उस स्थिति में न्यायालय कार्य समाप्त होने के पश्चात् या अवकाश के दिन लोक अदालत का कार्य किया जाएगा।

प्रकरणों की प्रकृति के अनुरूप लोक अदालत बैच के दूसरे सदस्य का चयन किया जावेगा।

लोक अदालत हेतु रेफर किये गये प्रकरणों की संख्या एवं प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त संख्या में लोक अदालत बैचों का गठन किया जाएगा ताकि पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को अनावश्यक इन्तजार नहीं करना पड़े और लोक अदालत बैचों को भी पर्याप्त काम मिले।

रेफर किये गये प्रकरणों की संख्या व प्रकृति को देखते हुए एक बैच में एक ही प्रकृति के या एक से अधिक प्रकृति के प्रकरण लगाये जा सकते हैं। एक बैच में एक से अधिक प्रकृति के प्रकरण लगाये जाने पर इन्हें वाद सूची में पृथक पृथक समूह बनाकर दर्शाया जावे। अधिक संख्या में प्रकरण प्राप्त होने पर विषय वार भी बैच गठित की जा सकती है।

लोक अदालत बैच की वाद सूची

लोक अदालत की प्रत्येक बैच के समक्ष रखे गये प्रकरणों की वाद सूची तैयार की जायेगी जिसमें प्रकरण संख्या, उनवान, अधिवक्तागण का नाम तथा न्यायालय का नाम जिसके द्वारा प्रकरण रेफर किया गया है, का उल्लेख किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा प्रकरण रेफर करने वाले न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर लोक अदालत की तिथि नियत होते ही यह सूचना प्रदर्शित की जायेगी कि रेफर प्रकरणों की सुनवाई किस लोक अदालत बैच के द्वारा की जायेगी।

लोक अदालत बैच हेतु स्टाफ की व्यवस्था

प्रत्येक लोक अदालत बैच के कार्य हेतु एक रीडर, एक स्टेनो, एक कनिष्ठ लिपिक एवं एक सहायक कर्मचारी की सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

लोक अदालत हेतु मानदेय

लोक अदालत बैच के सदस्यगण को नियमानुसार निर्धारित मानदेय राशि देय होगी।

मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारीगण को अवकाश के दिन लोक अदालत का कार्य करने की एवज में नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा।

लोक अदालत का स्थान

जिला मुख्यालय पर जहाँ ए.डी.आर. भवन का निर्माण हो चुका है वहाँ ए.डी.आर. भवन, जहाँ ए.डी.आर. भवन तैयार नहीं है वहाँ कानूनी सेवा क्लीनिक के लिये निर्धारित कक्ष या अन्य उपयुक्त स्थान पर लोक अदालत बैच कार्य करेंगी।

कोई अन्य उपयुक्त स्थान न होने पर या अवकाश के दिन या न्यायालय का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात न्यायालय कक्ष में लोक अदालत बैच कार्य करेंगी।

न्यायालय की डायस पर लोक अदालत बैंच नहीं बैठेगी। लोक अदालत बैंच के सदस्य के रूप में न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता निर्धारित गणवेश धारण नहीं करेंगे बल्कि गरिमामय सामान्य परिधान में रहेंगे ताकि लोक अदालत का वातावरण अनौपचारिक रहे और पक्षकार अपनी बात खुले दिल से करने के प्रति प्रोत्साहित हों।

लोक अदालत का समय

लोक अदालत का प्रारंभ निर्धारित तिथि पर प्रातः 10.30 बजे से होगा जिसकी कार्यवाही उस दिन नियत प्रकरणों के निस्तारण तक या कार्यालय समय पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, जारी रहेगी।

अवकाश के दिन आयोजित लोक अदालत में नियत प्रकरण उस दिन निस्तारित नहीं होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस पर या आगामी अवकाश दिवस पर लोक अदालत लगाई जा सकेगी जिसकी सूचना उपस्थित पक्षकार/अधिवक्तागण को दी जायेगी।

लोक अदालत का क्षेत्राधिकार एवं लोक अदालत को प्रकरणों का रेफरेन्स

उक्त विधिक प्रावधानों, धारा 89 सी.पी.सी. एवं एफकॉन्स मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप उचित मामले (Suitable matters) न्यायालयों द्वारा लोक अदालत को रेफर किये जाएंगे।

उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2015 के लिये राष्ट्रीय लोक अदालतों के लिये जारी कलेण्डर में विभिन्न विषय लोक अदालत के लिए निर्धारित किये गये हैं जिनसे समान प्रकृति के अन्य प्रकरण लोक अदालत को रेफर किये जा सकते हैं।

न्यायालय में मुकदमा दायर होने के पूर्व (Pre-litigation) उचित मामलों के लिए भी प्रकरणों की संख्या के अनुरूप लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

फौजदारी न्यायालय द्वारा राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण पक्षकारों को सुनकर राजीनामा की संभावना होने पर लोक अदालत को रेफर किये जायेंगे।

राजस्व न्यायालयों द्वारा भी धारा 89 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार उचित प्रकरण लोक अदालत को रेफर किये जा सकेंगे।

लोक अदालत में मामला रेफर करने के पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दें, उन्हे लोक अदालत में मामला निपटाने के लिये प्रेरित करें उनकी जिज्ञासाओं व आशंकाओं का समाधान करें, लोक अदालत से निस्तारण होने पर न्यायालय शुल्क वापसी जैसे अन्य लोक अदालत के फायदे बतायें, राजीनामे की मनोभूमि तैयार होने पर ही मामला रेफर करें। न्यायालय शुल्क वापसी के प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है।

जटिल प्रकृति के प्रकरण या विलम्ब करने की गरज से किये गये अनुरोध पर सिर्फ औपचारिकता के लिए लोक अदालत को प्रकरण रेफर नहीं किये जायें।

(Signature)

गैर राजीनामायोग्य आपराधिक मामलों (Non-compoundable Criminal Cases) एवं तलाक प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत का क्षेत्राधिकार अपवर्जित है अतः अशमनीय आपराधिक प्रकरण एवं तलाक मामले लोक अदालत को रेफर नहीं किये जायें।

नोट:- एकस्लपता की दृष्टि से रेफरल आदेशिका एवं रेफरल प्रपत्र के प्रारूप तैयार कर संलग्न किये गये हैं, जो आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर काम में लिये जा सकते हैं।

पक्षकारान / अधिवक्तागण को लोक अदालत की सूचना

राष्ट्रीय लोक अदालत, मेंगा लोक अदालत एवं पूर्व निर्धारित लोक अदालत को प्रकरण रेफर करने की स्थिति में लोक अदालत की दिनांक की सूचना रेफर करने वाले न्यायालय द्वारा ही पक्षकारों व अधिवक्तागण को दी जायेगी।

लोक अदालत की दिनांक पहले से निश्चित नहीं होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा लोक अदालत की दिनांक नियत होने पर पक्षकारों व अधिवक्तागण को लोक अदालत की दिनांक व समय की सूचना प्रेषित की जायेगी।

लोक अदालत की प्रक्रिया

उक्त विधिक प्रावधानों विशेषकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2009 के विनियम 13 एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 28 से 39 के अनुसार लोक अदालत की कार्यवाही संचालित होगी जिसमें लोक अदालत बैच सुलहकर्ता की भाँति कार्य करेगी और पक्षकारों में हुए राजीनामा या समझौते के आधार पर ही अवार्ड पारित करेगी। उसके द्वारा किसी विवाद बिन्दु पर नियमित न्यायालय की भाँति मामले का न्याय निर्णय (Adjudication) नहीं किया जाएगा। लोक अदालत बैच द्वारा पक्षकारों पर दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं बनाया जाएगा बल्कि निष्पक्ष तरीके से स्वेच्छया राजीनामे के प्रयास करने होंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 67 से 77 के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

प्री-लिटिगेशन मामलों में स्थानीय क्षेत्राधिकार के प्रकरण ही शामिल किये जाएंगे। दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। दोनों पक्षों में हुए समझौते के अनुरूप अवार्ड पारित किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन प्रकरण में समझौता नहीं होने पर पक्षकारान को अन्य वैकल्पिक विवाद निराकरण माध्यम अपनाने या न्यायालय में जाने की सलाह दी जाएगी।

लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड

लोक अदालत बैच द्वारा पक्षकारान में हुए राजीनामे के अनुरूप संक्षिप्त अवार्ड तैयार किया जावेगा जो पूरी तरह स्पष्ट होगा। अवार्ड दोनों पक्षों व उनके अधिवक्तागण को पढ़कर सुनाया जाएगा, उनके द्वारा सही स्वीकार करने पर उनके

हस्ताक्षर कराये जाएंगे।

अवार्ड पक्षकारों की भाषा में या हिन्दी/अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा। अवार्ड पक्षकारों की भाषा से अलग तैयार करने पर बैच द्वारा पक्षकारों को उनकी भाषा में समझाया जायेगा और इस आशय का नोट अवार्ड पर दर्ज किया जायेगा।

जहाँ पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं वहाँ लोक अदालत बैच के सदस्य पहचान पत्र के आधार पर पक्षकारों की पहचान सत्यापित करेंगे।

अवार्ड की प्रतिलिपि दोनों पक्षों को दी जावेगी तथा मूल समझौता पंचाट न्यायालय के रिकार्ड में शामिल किया जाएगा।

लोक अदालत में पारित अवार्ड की प्रमाणित प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा स्थाई रिकार्ड के लिए रखी जाएगी।

लोक अदालत बैच द्वारा तैयार किये जाने वाले अवार्ड का प्रारूप संलग्न है, जिसका उपयोग आवश्यक परिवर्तन के साथ किया जा सकता है।

लोक अदालत आयोजन के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा निम्न प्रपत्र में रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जायेगा—

क्र.सं.	प्रकरण सं. व उनवान	न्यायालय का नाम	मामले की प्रकृति (दीवानी/ फौजदारी/ राजस्व/ अन्य)	रिकार्ड प्राप्त होने की तारीख	लोक अदालत में प्रकरण निस्तारण की तिथि	परिणाम (सफल/ असफल/ पक्षकार अनुपस्थित)	रिकार्ड वापिस भेजने की तिथि

प्री-लिटीगेशन मामलों का भी अलग से निम्न प्रारूप में रजिस्टर संधारित किया जायेगा—

क्र.सं.	प्री-लिटीगेशन प्रकरण प्रकृति	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुका विधिक सेवा समिति पर दर्ज नम्बर व उनवान	लोक अदालत में निस्तारण की तिथि	परिणाम (सफल/ असफल/ पक्षकार अनुपस्थित)

लोक अदालत को रैफर किये गये प्रकरण का रिकार्ड भेजने की व्यवस्था

लोक अदालत को रैफर किये गये मामलों की पत्रावली संबंधित लिपिक द्वारा पहले से ही छांटकर अलग रखी जायेंगी। अवकाश के दिन लोक अदालत आयोजित होने पर रैफर किए गये प्रकरणों का रिकार्ड लोक अदालत की संबंधित बैच को भेजा जायेगा।

कार्य दिवस पर लोक अदालत आयोजित होने की स्थिति में लोक अदालत

बैंच द्वारा मांगते ही रिकार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

संबंधित रिकार्ड लोक अदालत हेतु भेजने की स्थिति में उक्त विधिक प्रावधानों का पालन किया जाएगा और रिकार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

लोक अदालतों के संबंध में निर्धारित सूचनाएँ पूर्व की भौति यथा समय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा परीक्षण के पश्चात प्रेषित की जावें।

नोट:- उपरोक्त दिशा निर्देश कार्य निष्पादन की सुविधा के लिए "उक्त विधिक प्रावधानों" के अध्यधीन जारी किये गये हैं, जिनमें समस्त प्रावधान समाहित नहीं हैं अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि लोक अदालतों का आयोजन उक्त विधिक प्रावधानों के अनुरूप हो और उक्त विधिक प्रावधानों का किसी भी सूत्रत में उल्लंघन नहीं हो।

21-2-2011
(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर
4. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, जयपुर
5. सभी अध्यक्षगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परिपत्र की प्रति उनके न्याय क्षेत्र के समस्त अभिभाषक संघ, समस्त अध्यक्ष, तालुक विधिक सेवा समिति तथा समस्त न्यायालयों, विशेष न्यायालय/अधिकरण/जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच को प्रेषित करावें।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि परिपत्र की प्रतियाँ सभी राजस्व अभिभाषक संघ एवं राजस्व न्यायालयों को पालनार्थ प्रेषित करें।
7. रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण, राजस्थान, जयपुर
8. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
9. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर।
10. रक्षित पत्रावली

24.1.15
(हमन्त सिंह)
उप सचिव

सिविल प्रकरणों में लिखी जाने वाली आदेशिका का प्रारूप

वादी/वादीगण/अपीलार्थी/अपीलार्थीगण मय अधिवक्ता श्रीउपस्थित।
प्रतिवादी/प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण मय अधिवक्ता श्री उपस्थित।

प्रस्तुत प्रकरण को वैकल्पिक समाधान माध्यम को प्रेषित करने के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य समझौते के तत्व विद्यमान हैं अतः विवाद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण लोक अदालत को रेफर किया जाता है।

दोनों पक्षों को तदनुसार सूचित किया गया।

रेफरल आदेश आज ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को प्रेषित किया जावे।

दोनों पक्ष दिनांक को बजे राष्ट्रीय लोक अदालत/मेंगा लोक अदालत/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा निर्धारित लोक अदालत में उपस्थित रहें।

या

दोनों पक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से सूचना प्राप्त होने पर नियत दिनांक, समय व स्थान पर लोक अदालत में उपस्थित रहें।

पत्रावली लोक अदालत को प्रेषित की जावे।

या

पत्रावली लोक अदालत द्वारा तलब किये जाने पर प्रेषित की जावे।

पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक को पेश हो।

आपराधिक प्रकरणों में लिखी जाने वाली आदेशिका का प्रारूप

सहायक/अतिरिक्त लोक अभियोजक/राजकीय अधिवक्ता उपस्थित/परिवादी उपस्थित।
अभियुक्त मय अधिवक्ता श्री उपस्थित।

या

अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो आज के लिए जरिये अधिवक्ता स्वीकार किया गया।

इस प्रकरण में आरोपित अपराध शमनीय हैं अतः इसे लोक अदालत को रेफर करने के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दोनों पक्षों के मध्य राजीनामे की संभावना है अतः यह प्रकरण लोक अदालत को रेफर किया जाता है।

दोनों पक्षों को तदनुसार सूचित किया गया।

रेफरल आदेश आज ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को प्रेषित किया जावे।

दोनों पक्ष दिनांक को बजे राष्ट्रीय लोक अदालत/मेंगा लोक अदालत/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा निर्धारित लोक अदालत में उपस्थित रहें।

या

दोनों पक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से सूचना प्राप्त होने पर नियत दिनांक व समय पर लोक अदालत में उपस्थित रहें।

पत्रावली लोक अदालत को प्रेषित की जावे।

या

पत्रावली लोक अदालत द्वारा तलब किये जाने पर प्रेषित की जावे।

पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक को पेश हो।

**लोक अदालत को प्रकरण रेफर करने पर जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को भेजे जाने वाले रेफरल
प्रपत्र का प्रारूप**

न्यायालय का नाम
प्रकरण संख्या
सुनवाई की आगामी तिथि
पक्षकारों के नाम
..... बनाम

प्रकरण की प्रकृति
(सिविल प्रकरण में विवाद की विषय वस्तु एवं आपराधिक प्रकरणों में अपराध की धाराओं का उल्लेख करें)
प्रेषित करते समय प्रकरण का प्रक्रम

पत्रावली के अवलोकन तथा पक्षकारान/अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त उपरोक्त प्रकरण लोक अदालत को रेफर किया गया है।

अतः पक्षकारान एवं उनके अधिवक्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक को बजे राष्ट्रीय लोक अदालत/मेंगा लोक अदालत/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा निर्धारित लोक अदालत में उपस्थित रहें।

या

दोनों पक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से सूचना प्राप्त होने पर नियत दिनांक व समय पर लोक अदालत में उपस्थित रहें।

लोक अदालत में सेवानिवृत या सेवारत न्यायिक अधिकारी, समाज सेवी/अधिवक्ता/विधिवेत्ता बैठते हैं जो दोनों पक्षों को सुनकर उनके मध्य आपसी सुलह व समझौते से प्रकरण के निस्तारण का प्रयास करते हैं। लोक अदालत में विवाद का अंतिम रूप से निपटारा होता है जिसकी कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत की कार्यवाही का कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण होने पर कोर्ट फीस वापस मिल जाती है।

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

दिनांक

वादी/शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

.....
.....
.....

प्रतिवादी/विपक्षी/अभियुक्त के हस्ताक्षर

.....
.....
.....

पक्षकार का दूरभाष नं.

पक्षकार का दूरभाष नं.

अधिवक्ता का नाम

अधिवक्ता का नाम

अधिवक्ता का दूरभाष नं.

अधिवक्ता का दूरभाष नं.

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन
..... प्राधिकरण / समिति द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी :

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी :

.....न्यायालय / प्राधिकरण/ समिति की कार्यवाही संख्या:

उपस्थिति :-

न्यायिक अधिकारी/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम:

सदस्यों का नाम : (1)

(2)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं
और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के
निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:

.....
.....
.....

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से
किसी द्वारा संदर्भ की गई है तो यह वापस की जाएगी।

याची/वादी/परिवादी

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

न्यायिक अधिकारी

सदस्य

सदस्य

तारीख:

प्राधिकरण / समिति की मुद्रा

नाम न्यायालय

क्रमांक

दिनांक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस न्यायालय के दीवानी वाद संख्या उनवान बनाम में
लोक अदालत/मध्यस्थता के जरिये सुलह हुये प्रकरण का इस न्यायालय द्वारा निस्तारण
करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद में प्रस्तुत न्यायशुल्क
रूपये (अक्षरेरूपये) लौटाने का आदेश दिया जाता है।
अतः धारा 65(ख) कोर्ट फीस एकट के अनुसार वाद पत्र में लगाई गई कोर्ट
फीस.....रूपये (अक्षरेरूपये) को वादी/वादी के अधिवक्ता
को कलेक्टर (मुद्रांक)से वापस लेने के लिए प्रमाण पत्र
जारी किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

कोर्ट की मोहर

प्रारूप संख्या 29

(नियम 320)

न्यायालय फीस के प्रतिदाय के लिए प्रमाण पत्र

भाग I		भाग II					भाग III	
1.	संख्याक	न्यायालय फीस के प्रतिदाय या संदाय के लिए प्रमाण पत्र					प्रतिदायया संदाय का संज्ञापन	
2.	तारीख (जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की तारीख है)	न्यायालय का नाम	संख्यांक	तारीख	रकम	रकम	प्रतिदाय या संदाय की तारीख	
3.	मामले का संख्याक और पक्षकारों के नाम							
4.	न्यायालय में संदत्त फीस की रकम							
5.	न्यायालय में संदाय की तारीख							
6.	प्रतिदाय या संदाय के लिए आवेदन की तारीख							
7.	आया रकम को किया जाना है (क)प्रतिदत्त (ख)संदत्त.....							
8.	प्रतिदाय या संदाय का निर्देश देने वाले आदेश की तारीख							
9.	तारीख जिस पर प्रमाणपत्र पाने वाले का दिया गया							
10.	पाने वाले का नाम							
11.	पाने वाले के हस्ताक्षर.....							
12.	पाने वाले को शानाख्त करने वालों के हस्ताक्षर							
(यदि कोई हो)								
13.	अधिनियम की धारा नियम जिसके अधीन प्रतिदाय किया जाना है							
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर								

पीठासन अधिकारी

खजाने या उप खजाने का प्रभारी

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

1987 का 39 नं.

(11 अक्टूबर, 1987)

[जैसा विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित है (नं. 37/2002)]

(11 जून, 2002)

समाज के कमज़ोर वर्गों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त कर पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का प्रवर्तन समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्द्धन करे, लोक अदालत आयोजित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।
- (2) इसका विस्तार, जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा कि जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : -

- (4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस निमित उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथा प्रमाणित, प्राधिकरण का लेखा उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।
- (5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगी।
- (6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट उनसे प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएंगी।

अध्याय 6

लोक अदालत

लोक अदालतों का आयोजन

19. (1) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अन्तरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीकं समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेंगी।
- (2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने :-
- (क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, और
 - (ख) अन्य व्यक्तियों,
- से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितिया तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और

अर्हताएं वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

- (4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वाये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।
- (5) किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है :-

- (i) समक्ष लम्बित किसी मामले के बाबत् या
- (ii) उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले, किसी ऐसे विषय के बाबत् जो उसके समक्ष नहीं लाया गया है,

किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी :-

परन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है।

लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान

20. (1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में:-

- (i) उस मामले को परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए :-
 - (क) उसके पक्षकार सहमत हैं, या
 - (ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथम दृष्ट्या समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाएं हैं, या
- (ii) न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को
सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 3, 1999

जी.एस.आर. 79 :— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 29-के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39) अभिप्रेत है;

(ख) 'नियम' से अधिनियम के अधीन विरचित समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 अभिप्रेत है;

(ङ) ऐसे व्यक्ति की समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा समनुर्दिष्ट विधि व्यवसायी से भिन्न किसी को नियुक्त करने की दशा में;

(च) ऐसी कार्यवाहियों को छोड़कर जहां ऐसी कार्यवाहियां विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनी रहती हैं, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में;

(छ) ऐसे व्यक्ति को समनुर्दिष्ट अधिकर्ता से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि वह अधिकर्ता के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या अधिकर्ता के साथ कदाचार का दोषी है और ऐसी रिपोर्ट सत्यापित की गयी है;

परन्तु पात्रता का ऐसा प्रमाण-पत्र ऐसे व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को यह कारण दर्शित करने, कि प्रमाण-पत्र क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए, का सम्यक् नोटिस दिये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

(2) जहां पूर्वोक्त खण्ड (क) में दिये गये आधार पर पात्रता का प्रमाण-पत्र रद्द किया जाता है वहां जिला प्राधिकरण/समिति अनुज्ञात विधिक सहायता को रोक देगी और यदि आवश्यक समझा जाये तो लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन सहायता प्राप्त व्यक्ति को मंजूर की गयी विधिक सहायता की रकम उससे वसूल करने की हकदार होगी।

25. अति आवश्यक मामलों में अध्यक्ष द्वारा कार्यवाहियां :—इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि किसी समिति/जिला प्राधिकरण के सचिव की यह राय हो कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है जहां तुरन्त कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है या समिति/जिला प्राधिकरण की बैठक तुरन्त आयोजित किये जाने की कोई संभावना नहीं हो, तो वह, संबंधित समिति/जिला प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और तत्पश्चात् वह यथाशक्य शीघ्र इस प्रकार उसके द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित समिति/जिला प्राधिकरण को भेजेगा।

अध्याय-5

लोक अदालत

26. उच्च न्यायालय स्तर पर लोक अदालत का गठन :—(1) लोक अदालत में कम से कम एक आसीन या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, जो जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से नीचे की रैंक का न हो और निम्नलिखित में से दो से अधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे :—

- (i) विधि व्यवसाय के सदस्य;
- (ii) सामाजिक कार्यकर्ता;
- (iii) विधिक सेवा स्कीम से हितबद्ध कोई विष्यात व्यक्ति;
- (iv) स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि;
- (v) विधिक क्लिनिक के सदस्य, यदि कोई हो;
- (vi) राजस्व विभाग का कोई अधिकारी।

(2) जिला स्तर पर लोक अदालत में कम से कम एक आसीन या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे :—

- (i) विधि व्यवसाय के सदस्य;
- (ii) सामाजिक कार्यकर्ता;
- (iii) विधिक सेवा स्कीम से हितबद्ध कोई विष्यात व्यक्ति;
- (iv) स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि;
- (v) विधिक क्लिनिक के सदस्य, यदि कोई हो।

(3) तालुक स्तर पर लोक अदालत में कम से कम एक आसीन या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे :—

- (i) विधि व्यवसाय के सदस्य;
- (ii) सामाजिक कार्यकर्ता;
- (iii) विधिक सेवा स्कीम से हितबद्ध कोई विष्यात व्यक्ति;
- (iv) स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि;
- (v) विधिक क्लिनिक के सदस्य, यदि कोई हो।

27. राज्य प्राधिकरण को सूचना :—उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण को उस तारीख से पहले जिसको लोक अदालत किया जाना प्रस्तावित है, लोक अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :—

- (i) स्थान और तारीख तथा समय जिस पर लोक अदालत आयोजित किया जाना प्रस्तावित है;

- (ii) क्या इस स्कीम के विनियम 26 (1), (2) व (3) के उप-वाक्य (iv) में यथानिर्दिष्ट कुछ संगठन स्वयं को लोक अदालत के साथ सहयुक्त करने को सहमत हो गये हैं;
- (iii) लोक अदालत के समक्ष रखे जाने को प्रस्तावित केसों के प्रबर्ग और स्वरूप यथा लंबित केस या पूर्व-मुकदमेंबाजी विवाद या दोनों;
- (iv) लोक अदालत के समक्ष लाये जाने वाले प्रस्तावित केसों की संख्या;
- (v) लोक अदालत को बुलाये जाने और आयोजित करने के सुसंगत अन्य कोई जानकारी।

28. लोक अदालत आयोजित करने की प्रक्रिया :— (1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियमित अन्तरालों पर, जैसा उचित समझे, निपटाये जाने के लिए उपलब्ध केसों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लोक अदालत संयोजित और आयोजित करेगा।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक तिमाही में कम से कम एक बार और अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा उसे निर्दिष्ट निपटाये जाने के लिए उपलब्ध केसों की पर्याप्त संख्या होते ही, लोक अदालत आयोजित करेगा।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, निपटाये जाने के लिए उपलब्ध किन्हीं विशेष प्रकार के केसों के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, विधि व्यवसाय के सदस्यों, महाविद्यालयों के छात्रों, विधिक क्लिनिक के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, पूर्त और परोपकारी संस्थाओं और अन्य वैसे ही संगठनों को लोक अदालत से सहयुक्त कर सकेगा।

29. लोक अदालत आयोजित करना :— कोई लोक अदालत ऐसे समय और स्थान पर और शनिवार, रविवार और अवकाशों को सम्मिलित करते हुए ऐसे किसी दिन आयोजित की जा सकेगी जैसा राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण, या यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति समझे।

30. लोक अदालत को केस का निर्देश :— (1) केस, अधिनियम की धारा 20

के अनुसार संबंधित न्यायालय द्वारा लोक अदालत को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) उक्त निर्देश करते समय, संबंधित न्यायालय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के ग्रान्थ या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा मार्गीत के अध्यक्ष को लोक अदालत के समक्ष मामले को रखने के लिए अभिलेख/पत्रावली पारेषित करेगा और पक्षकारों को इसके लिए नियत तारीख पर लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए निर्देश देगा।

(3) लोक अदालत में विवाद के निपटारे के लिए किसी भी पक्षकार द्वारा लोक अदालत के समक्ष भेजे गये किसी आवेदन की प्राप्ति पर सम्बन्धित लोक अदालत, आवेदन मार्गीत कार्यवाही के लिए संबंधित न्यायालय को भेजेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, अभिलेख प्राप्त किये जाने के समय में उसके लौटाये जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी लोक अदालत को आयोजित करने और न्यायालय अभिलेखों को परेषित करने में सहयोग करेगा तथा लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए सद्भाविक प्रयास करेगा।

(6) न्यायिक अभिलेखों को लोक अदालत के होने से दस दिन के भीतर-भीतर इस बात को विचार में लाये बिना कि क्या लोक अदालत ने केस का निपटारा कर दिया है या नहीं, कार्यवाहियों के परिणाम संबंधी एक पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया जायेगा। तथापि, लोक अदालत समिति को, जहां केस के निपटारे की संभावना प्रतीत हो और यदि वह उसके अभिलेख फाईल को अगली लोक अदालत में रखा जाना उचित समझे तो वह उन्हें रोके रखने के लिए स्वतंत्र होगी और संबंधित न्यायालय को सूचित करेगी।

31. मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर लोक अदालत :— (1) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर पक्षकारों के बीच किसी विधिक विवाद के निपटारे के लिए प्राप्त आवेदन पर जिला प्राधिकरण/समिति का क्रमशः सचिव/अध्यक्ष मामले का निरीक्षण करेगा और यदि वह मुकदमेबाजी के पूर्व निपटारे के लिए मामले को निर्देशित करना ठीक समझे तो वह आवेदन और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ विपक्षी पक्षकार को उसके समक्ष हाजिर होने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव/अध्यक्ष या, यथास्थिति, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यदि वह मामले को लोक अदालत को निर्देशित करना उचित समझे तो वह पक्षकारों को मुकदमेंबाजी के पूर्व निपटारे के लिए लोक अदालत के समक्ष लोक अदालत के लिए नियत तारीख पर हाजिर होने के लिए निर्देश देगा।

(3) इस प्रकार निर्दिष्ट मामला, यदि लोक अदालत द्वारा मुकदमेंबाजी के पूर्व के स्तर पर नहीं निपटा दिया जाता है तो जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, अध्यक्ष कागज पत्रों का अभिलेख रखेगा और पक्षकारों को किसी न्यायालय में उपचार चाहने के लिए परामर्श देगा तथा यदि कोई भी पक्षकार विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो, तो उसे विधिक सहायता के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए निर्देश देगा।

(4) ऐसे केसों में, जो मुकदमेंबाजी के पूर्व के स्तर पर लोक अदालत को निर्दिष्ट किये गये हैं, पक्षकारों के कथन और लोक अदालत के मूल पंचाट के साथ उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज न्यायिक अभिलेख के भाग होंगे।

(5) लोक अदालत की समाप्ति पर मुकदमेंबाजी के पूर्व के केसों के अभिलेख जिला प्राधिकरण/समिति के सचिव या, यथास्थिति, अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगे।

32. लोक अदालत के कृत्य :—(1) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक बैंच को विशिष्ट केस समनुदेशित करेंगे।

(2) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक बैंच के लिए एक "वाद सूची" तैयार करेगा और समस्त संबंधितों को ऐसी लोक अदालत की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व ऐसी लोक अदालत की तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा तथा पक्षकारों को ऐसे नोटिस से जिला प्राधिकरण/समिति के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिमुक्त किया जा सकेगा यदि उसकी यह राय हो कि पक्षकारों को विनियम 3 (2) के अधीन निर्देश करते समय समुचित और सम्यक् नोटिस दिया जा चुका है।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक बैंच, उसके समक्ष रखे गये केस के सुलहपूर्ण निपटारे के लिए, किसी प्रकार के प्रपीड़न, धमकी या अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना, सद्भाविक प्रयास करेगी।

33. लोक अदालत में समझौता या निपटारा करने की प्रक्रिया :—(1) जब

पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटारा हो जाये तब लोक अदालत ऐसे समझौते के आधार पर पंचाट करने के लिए अग्रसर होगी।

(2) लोक अदालत के प्रत्येक पंचाट पर लोक अदालत को गठित करने वाले पैनल द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(3) मूल पंचाट न्यायिक अभिलेख का भाग होगा और पंचाट की प्रति जिला प्राधिकरण/समिति के सचिव द्वारा या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रमाणित होने के रूप में प्रत्येक पक्षकार को दी जायेगी।

34. पंचाट का निरपेक्ष और स्पष्ट होना :—(1) लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट निरपेक्ष और स्पष्ट होगा और स्थानीय न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा में लिखा जायेगा। पंचाट हिन्दी या अंग्रेजी में लिखा जा सकेगा।

(2) विवाद के पक्षकारों से लोक अदालत के पंचाट पर उनके हस्ताक्षर करने या, यथास्थिति, अंगूठा निशानी लगाने की अपेक्षा की जायेगी।

35. परिणामों का संकलन :—लोक अदालत के सत्र की समाप्ति पर जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, समिति का सचिव राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए परिणाम का संकलन करेगा जबकि तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण के साथ ही जिला प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए और अपने अभिलेख के लिए भी उनका संकलन करेगा।

36. लोक अदालत के न्यायाधीशों के पैनल का रखा जाना :—जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अधिनियम की धारा 28 (2) (ण) के उपबंधों के अनुसार और नियमों के नियम 17 में यथा-अधिकथित विहित अहंता और अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि, जो लोक अदालतों में सहयुक्त होने के लिए सहमत हैं, का एक पैनल बनायेगा।

37. बैठक और वाहन भत्ता :—लोक अदालत की बैंच के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक लोक अदालत के लिए 150/- रुपये के मानदेय का संदाय किया जायेगा और वास्तविक वाहन प्रभारों या ऐसे वाहन भत्तों का हकदार होगा जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर नियत किये जायें।

38. अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा निर्दिष्ट केसों के

अभिलेख को रखे जाने की प्रक्रिया :—(1) जिला प्राधिकरण/समिति का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित रूप से विशिष्टियां देते हुए लोक अदालत को निर्देश के रूप में उसे प्राप्त समस्त केसों को प्रविष्ट करेगा :—

- (i) प्राप्ति की तारीख;
- (ii) केस का स्वरूप;
- (iii) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आवश्यक समझी जायें, और
- (iv) निपटारे की ओर केस फाईल को लौटाने की तारीख।

(2) जब केस लोक अदालत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिया जाये, तब उसकी समुचित प्रविष्टि रजिस्टर में की जायेगी।

39. विविध :—(1) लोक अदालत में पक्षकारों की ओर से वकीलों को उपस्थित होने से इंकार नहीं किया जायेगा।

(2) किसी लोक अदालत के समक्ष लाये गये या उसे निर्दिष्ट किये गये मामलों या केसों की बाबत् पक्षकारों द्वारा कोई न्यायालय शुल्क संदेय नहीं होगा।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, या जिला प्राधिकरण का सचिव या, यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, लोक अदालतों को, ऐसी सभी सहायता उपलब्ध करायेगा, जो आवश्यक हो।

(4) लोक अदालत की प्रत्येक बैंच अपने समक्ष की कार्यवाहियों के संचालन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विकसित कर सकेगी और वह सिविल प्रक्रिया संहिता या साक्ष्य अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता से आबद्ध नहीं होगी, तथापि, बैंच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों, साम्या, न्यायोचित व्यवहार और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

अध्याय-6

निधि एवं लेखे

40. बजट :—(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और जिला प्राधिकरण, अधिनियम, नियम और विनियम द्वारा परिकल्पित स्कीम के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्राक्कलन राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) तालुक विधिक सेवा समिति, अधिनियम, नियम और विनियम द्वारा परिकल्पित



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक**

साधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

चैत्र 14, शुक्रवार, शाके 1933—मई 4, 2012

Chaitra 14, Friday, Saka 1933-May 4, 2012

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप—विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 20, 2012

जी.एस.आर 5 :— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 29—क के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रांतम् :— (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2012 है।
 (2) ये दिनांक 20.03.2012 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. विनियम 22 का संशोधन :— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विनियम, 1999 के विनियम सं. 22 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिरक्षापित किया जावेगा, अर्थात् —

"(2) प्रथम बार में प्रयास यह किया जावेगा कि विधि व्यवसायी की सेवाएँ मानदेय आधार पर प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये। यदि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था किसी दूसरे विधि व्यवसायी द्वारा सहायता प्रदान किये बिना नहीं हो सकती हों, तो सम्बन्धित समिति / जिला प्राधिकरण विधि व्यवसायी की नियुक्ति कर सकेगी और अग्रलिखित दर पर फीस का संदाय कर सकेगी :—

(क) तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)
 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर के

१(२) राजस्थान राज-पत्र, मई ४, २०१२ भाग ४ (ग)

न्यायालय और अन्य समान न्यायालय इत्यादि २०००/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त ५००/- व्यय प्रति केस।

- (ख) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व अपील प्राधिकरण के न्यायालय और अन्य समान अधिकरण ३०००/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त ५००/- व्यय प्रति केस।
- (ग) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ४५००/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त ५००/- व्यय प्रति केस।
- (घ) उच्च न्यायालय ५५००/- प्रति केस और इस विहित फीस के अतिरिक्त १०००/- व्यय प्रति केस।
- (ङ) किसी भी ऐसे केस में लेख बद किये जाने वाले कारणों से अध्यक्ष द्वारा उसे ऐसे स्वरूप/महत्व का माना जाये जिसके लिए विधि व्यवसायी को अधिक फीस का संदाय करने की अपेक्षा हो, तो वह ऐसी अधिक फीस का संदाय कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

परन्तु विविध और लघु प्रकरणों यथा जमानत प्रार्थनापत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७, १२५, १४५, १३३ के अधीन (रिवीजन) पुनर्विचार याचिकाओं में यथास्थिति उपखण्ड (क) से (घ)में विहित फीस की १/३ राशि और ५००/- व्यय प्रति केस संदत किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि प्रकरणों के प्रत्याहरण में उपखण्ड (क) से (घ)में विहित फीस की १/२ राशि संदत की जायेगी।

(३) विनियम ३७ का संशोधन:- इन विनियमों के विनियम ३७ में विद्यमान अभिव्यक्ति रूपये १५०/- के रथान पर रूपये ५००/- प्रतिरक्षापित की जायेगी।

| संख्या २०७२२ |

आज्ञा से,
के. यी. कट्टा,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. १९३।

नई दिल्ली, प्रगल्भा, अक्टूबर २०, २००९/आश्विन २८, १९३।

No. १९३।

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 193।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, १५ अक्टूबर, २००९

सं. एल/२८/०९-नालसा.—कर्त्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ (१९८७ का ३९) को धारा २९ द्वारा प्रदत्त शास्त्रियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अधार्तु :—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, २००९ है।

(२) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

२. परिभाषा।—इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से विधिक सेवा प्राधिकरण आधारित विनियम, १९८७ (१९८७ का ३९) अधिग्रहित है;

(ख) 'लोक अदालत' से अधिनियम को धारा १९ के अधीन आयोजित की जाने वाली लोक अदालत अधिग्रहित है;

(ग) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभासित नहीं हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ (१९८७ का ३९) या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, १९९५ में परिभासित हैं, वहाँ अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियमों में हैं।

३. लोक अदालतें आयोजित करने की प्रक्रिया।—(१) लोक अदालतें, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरणों या जिला प्राधिकरणों या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समितियों द्वारा नियमित अंतरालों पर आयोजित को जा सकेंगी और ऐसी लोक अदालतें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के लिए, जो पूर्वोक्त प्राधिकरण या समितियाँ ठीक समझी, आयोजित की जाएंगी।

परंतु विशेष लोक अदालतें सभी कुटुम्ब न्यायालयों के लिए नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाएंगी।

(२) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य-भर्त्ता या सचिव या जिला प्राधिकरण या ग्राम्य विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष विधिक वृत्ति के सदस्यों, महाविधालय के विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, पूर्व और परोपकारी संस्थाओं और वाय वैसे ही संस्थाओं या लोक अदालतें आयोजित करने के लिए सहयोजित कर सकेंगे।

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

4. राज्य प्राधिकरण को सूचना—यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण को लोक अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में उस तारीख से बहुत पूर्व, जिसको लोक अदालत आयोजित करने का प्रस्ताव है, सूचित करेगा और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा।

अर्थात् :—

- (i) वह स्थान और तारीख, जिसको लोक अदालत आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है;
- (ii) क्या ऊपर विनियम 3 के उपविनियम (2) में यथा निर्दिष्ट संगठनों में से किसी ने लोक अदालत के साथ स्वयं को सहयोजित करने के लिए अपनी सहमति दी है;
- (iii) मामलों के प्रवर्ग और प्रकृति जैसे लंबित गामले या मुकदमा—पूर्व विवाद, जिनका लोक अदालत के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव है;
- (iv) प्रत्येक प्रवर्ग में लोक अदालत के रामक्ष लाए जाने वाले प्रस्तावित मामलों की संख्या;
- (v) कोई अन्य सूचना, जो लोक अदालत के संयोजन और आयोजन से सुसंगत हो।

5. संबद्ध पक्षकारों को सूचना—लोक अदालतों का संयोजन और आयोजन करने वाले यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक रोवा रागिति का अध्यक्ष, उस संबद्ध प्रत्येक पक्षकार को जिसका मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है, समय पूर्व सूचित करेगा जिससे उसे लोक अदालत के समक्ष रखने को तैयार करने के लिए अवसर दिया जा सके :

परंतु ऐसी सूचना से अभिभुक्ति दी जाएगी यदि न्यायालय ने मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करते समय पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति में लोक अदालत की तारीख और समय नियत किया है या उसकी सूचना दी है :

परंतु यह और कि यदि कोई पक्षकार लोक अदालत को अपना मामला निर्दिष्ट करने के लिए इच्छुक नहीं है तो संबद्ध न्यायालय द्वारा उस मामले पर उसके गुणागुण के आधार पर दिनार किया जाएगा।

6. लोक अदालत की संरचना—

(क) राज्य प्राधिकरण रत्तर पर—लोक अदालत आयोजित करने वाला सदस्य—सचिव लोक अदालतों की न्यायालीते गतित करेगा, प्रत्येक न्यायालीठ में उच्च न्यायालय के आरीन या रोवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

- (i) निश्चिक वृत्ति से कोई सदस्य; और
- (ii) ऐसे स्थातिप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जो व्यक्तियों के कमज़ोर वर्गों, जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्री, बालक, ग्रामीण और शहरी

भाग III—खण्ड 4]

श्रमिक भी हैं, के उत्थान में लगे हैं और जिनकी विधिक सेवा स्कीमों या कार्यक्रमों की कार्यान्वयन में लड़ि है।

(ख) उच्च न्यायालय स्तर पर—लोक अदालत आयोजित करने वाला उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य ; और

(ii) ऊमर उपरै (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता ।

(ग) जिला स्तर पर—लोक अदालत आयोजित करने वाला जिला प्राधिकरण का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य ; और

(ii) ऊमर उपरै (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानतः कोई स्त्री ।

(घ) तालुक स्तर पर—लोक अदालत आयोजित करने वाला तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों की न्यायपीठ गठित करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों होंगे :

(i) विधिक वृत्ति से कोई सदस्य ; और

(ii) ऊमर उपरै (क) की मद (ii) में यथा वर्णित प्रवर्ग का सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र के विधिक सदृश क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति अधिमानतः कोई स्त्री ।

7. लोक अदालतों का मामलों का आबंटन—(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट मामले समनुदेशित करेंगे ।

(2) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ के लिए एक मामला सूची तैयार कर सकेगा और लोक अदालत आयोजित करने की तारीख के कम से कम एक दिन पूर्व सभी संबद्ध व्यक्तियों को सूचित करेंगे ।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक मामले में किसी प्रकार के उत्पीड़न, घमकी, असम्यक् प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना सुलह समझौता कराने के गंभीर प्रयास करेगी ।

8. लोक अदालतों का आयोजन—लोक अदालतें ऐसे समय और स्थान तथा ऐसी तारीख को जिसके अंतर्गत छुट्टी का दिन भी है, जिसे लोक अदालत आयोजित करने वाला यथास्थिति, राज्य

प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति उचित समझे, आपोजित की जा सकेंगी।

9. लोक अदालतों की अधिकारिता--लोक अदालतों को केवल पक्षकारों के बीच किसी विवाद का समझौता या परिनिर्धारण करने के लिए पक्षकारों की सहायता करने की शक्ति होगी और ऐसा करते समय पक्षकारों के बीच ऐसे विवादों की बाबत वे कोई निर्देश या आदेश जारी नहीं करेंगी।

10. लंबित मामलों के निर्देश--(1) लोक अदालत के पास लंबित मामले पर कार्रवाई करने की तभी अधिकारिता होगी जब सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय आदेश करता है कि मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 या अधिनियम की धारा 20 में विहित रीति के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए।

(2) लोक अदालत को लंबित मामलों के तंत्र संबंधी निर्देश करने से बचा जाएगा और निर्देश करने वाला न्यायालय प्रथम दृष्टया अपना यह समाधान करेगा कि लोक अदालत के मामले के निपटारा होने का अवसर है और लोक अदालत में निर्दिष्ट किए जाने के लिए यह मामला समुचित है :

परंतु विवाह-विव्हेद और आपराधिक मामलों से संबंधित ऐसे विषय, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन शमनीय नहीं हैं, लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किए जाएंगे।

(3) उस लंबित मामले में जहाँ पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार ने न्यायालय को लोक अदालत में मामले को निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन किया था या न्यायालय का स्वप्रेरणा से यह समाधान हो जाता है कि लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए मामला समुचित है, तो मामले को पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् के सिवाय लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

11. अभिलेखों को समन करना और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व--(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उन लंबित मामलों के न्यायिक अभिलेखों के अधिनियम की धारा 20 के अधीन संबद्ध न्यायालयों से लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है भंगा सकेंगे।

(2) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण का सचिव, या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी न्यायालय से प्राप्त होने वाले अभिलेखों की उन्हें न्यायालय को वापस किए जाने तक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) न्यायिक अभिलेख लोक अदालत द्वारा समाप्त की गई कार्यवाही के दस दिन के भीतर कार्यवाहियों के परिणाम के बारे में पृष्ठांकन सहित वापस कर दिए जाएंगे चाहे लोक अदालत द्वारा मामले का निपटारा किया गया हो या नहीं :

परंतु जहाँ कहीं समुचित हो, वह संबद्ध न्यायालय, जहाँ से अभिलेख भंगा गए थे, दस दिन से परे की अवधि के लिए अभिलेखों को प्रतिधारित करने की अनुमति दे सकेगा।

(4) प्रत्येक न्यायिक प्राधिकरण से यह आशा की जाती है कि वह न्यायिक अभिलेखों के पारेषण में सहयोग करे ।

12. **मुकदमा-पूर्व मामला**—(1) मुकदमा-पूर्व मामले में यह सुनिश्चित किया जाए कि उस न्यायालय, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई है, को मामले को न्यायनिर्णीत करने की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता है ।

(2) लोक अदालत को मुकदमा-पूर्व मामले को निर्दिष्ट करने से पूर्व, यथास्थिति, संबद्ध प्राधिकरण या समिति संबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देगी ।

परंतु प्रत्येक पक्षकार का बयान लोक अदालत के समक्ष इसे रखे जाने के लिए, यथास्थिति, संबद्ध प्राधिकरण या समिति द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(3) पक्षकारों के बीच समझौता आधारित किसी पंचाट को केवल अधिनियम की धारा 20 में विहित प्रक्रिया के उल्लंघन पर संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका फाइल करके घुनौती दी जा सकती है ।

13. **लोक अदालतों में प्रक्रिया**—(1) लोक अदालत के सदस्यों की भूमिका केवल कानूनी सुलहकर्ता की है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं है और वे, यथावश्यक परिवर्तन सहित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 67 से 79 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन कर सकेंगे ।

(2) लोक अदालत के सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः मामलों या विषयों का समझौता या परिनिर्धारण करने के लिए किसी भी पक्षकार पर दबाव नहीं डालेंगे या जबरदस्ती नहीं करेंगे ।

(3) लोक अदालत के सदस्य उचित परिनिर्धारण या समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों के साथ विषयवस्तु पर चर्चा करेंगे और लोक अदालत के ऐसे सदस्य पक्षकारों की उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण परिनिर्धारण पर पहुंचने के उनके प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से सहायता करेंगे :

परंतु यदि स्वतंत्र व्यक्ति या प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है तो लोक अदालत उसे भी प्राप्त कर सकेगी ।

(4) लोक अदालत के सदस्य, अन्य बातों के साथ-साथ, पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, विवाद की प्रतिवेशी रुद्धियों और रीति रिवाजों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए नेसर्जिक न्याय, साम्या, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता के सिद्धांतों द्वारा मार्ग दर्शित होंगे ।

(5) लोक अदालत ऐसी रीति से कार्यवाहियां कर सकेंगी जैसा वह मामले की परिस्थितियों, किसी पक्षकार द्वारा लोक अदालत से मौखिक कथन सुनने के किसी अनुरोध और विवाद के शीघ्र परिनिर्धारण की आवश्यकता सहित पक्षकारों की इच्छाओं पर विचार करते हुए उचित समझे ।

(6) लोक अदालत अपनी निजी इच्छा से किसी निर्देश का अवधारण नहीं करेगी बल्कि पक्षकारों के बीच समझौते या परिनिर्धारण के आधार पर ही समझौता या परिनिर्धारण के निर्बंधनानुसार अधिनिर्णय करके अवधारण करेगी ।

परंतु किसी लोक अदालत को नियमित न्यायालय के रूप में उनके विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए पक्षकारों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है ।

परंतु यह और कि लोक अदालत का अधिनिर्णय न तो अधिमत है और न ही किसी विनिश्चय करने वाली प्रक्रिया द्वारा विचारित राय है।

14. प्रशासनिक सहायता—लोक अदालत कार्यवाहियों को सुकर बनाने के लिए प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था विधिक सेवा उपलब्ध कराने में लगी उपयुक्त संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा की जा सकेगी।

15. समझौता या परिनिर्धारण की विश्वना—लोक अदालत, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर विवाद के निर्धारण के लिए प्रस्ताव कर सकेगी और यह आवश्यक नहीं कि ऐसा प्रस्ताव उसके लिए कारणों के कथन से युक्त हो।

16. लोक अदालत और पक्षकारों के बीच संसूचना—(1) लोक अदालत पक्षकारों के मिलने के लिए आमंत्रित कर सकेगी या उसे मौखिक या लिखित रूप में संसूचित कर सकेगी और वह पक्षकारों के साथ एक साथ या उनरो पृथक—पृथक मिल सकेगी या संसूचित कर सकेगी। किसी पक्षकार से प्राप्त विवाद से संबंधित तथ्यात्मक सूचना इसलिए अन्य पक्षकार को प्रकट की जा सकेगी कि अन्य पक्षकार को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।

परंतु लोक अदालत कोई सूचना प्रकट नहीं करेगी यदि एक पक्षकार इसे गोपनीय रखना चाहता है।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपनी निजी पहल या लोक अदालत के आमंत्रण पर विवाद के परिनिर्धारण के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) जब लोक अदालत को यह प्रतीत होता है कि परिनिर्धारण के लक्षण विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे तो संभव परिनिर्धारण के निबंधन लोक अदालत द्वारा विरचित किए जाएंगे और उनके विचारों और परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिए पक्षकारों को दिए जाएंगे और पक्षकारों द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जा सकेगा तथा संभव परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत द्वारा पुनःविरचित किया जा सकेगा।

(4) यदि पक्षकार विवाद के समझौते या परिनिर्धारण पर पहुंचते हैं तो लोक अदालत रूपरेखा तैयार कर सकेगा या ऐसे समझौते या परिनिर्धारण के निबंधनों की रूपरेखा तैयार करने में पक्षकारों की सहायता कर सकेगा।

17. अधिनिर्णय—(1) अधिनिर्णय की रूपरेखा तैयार करना लोक अदालत के मार्गदर्शन और सहायता के अधीन पक्षकारों द्वारा सहमत परिनिर्धारण या समझौता के निबंधन सम्मिलित करते हुए मात्र एक प्रशासनिक कार्य है।

(2) जब दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करते हैं या अपना अंगूठा निशान लगाते हैं और लोक अदालत के सदस्य इस पर अधोहस्ताक्षर करते हैं तो यह अधिनिर्णय हो जाता है। (परिशिष्ट - 1 पर नमूना देखिए) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय स्पष्ट और सरल होगा और न्यायालयों में प्रयुक्त प्रादेशिक भाषा या अंग्रेजी में होंगे। इसमें मामले की विशिष्टियां अर्थात् मामला संख्या, न्यायालय का नाम, पक्षकारों के नाम, प्राप्ति की तारीख, स्थायी रजिस्टर (विनियम 20 के अधीन यथाउपबंधित बनाए रखे गए) में मामले की रजिस्टर संख्या और परिनिर्धारण की तारीख भी अंतर्विष्ट होगी। जहां कहीं पक्षकारों का प्रतिनिधित्व काउंसेल द्वारा किया जाता है वहाँ उनसे भी लोक

अदालत के सदस्यों के समक्ष परिनिर्धारण या अधिनिर्णय पर अपने हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होनी चाहिए ।

(3) न्यायालय से लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों के अधिनिर्णय में यह उल्लिखित होगा कि वादी या याची दी गई न्यायालय फीस के प्रतिदाय का हकदार है ।

(4) जहां पक्षकारों के साथ काउंसेल नहीं है या काउंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, वहां लोक अदालत के सदस्य परिनिर्धारण अभिलिखित करने के पूर्व पक्षकारों की पहचान का भी सत्यापन करेंगे ।

(5) लोक अदालत के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्षकार निश्चित और अभिलिखित किए गए परिनिर्धारण के निबंधनों को पूरी तरह से समझने के पश्चात् ही अपने हस्ताक्षर करें । लोक अदालत के सदस्य अपने हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित के बारे में भी स्वयं का समाधान करेंगे :

- (क) यह कि परिनिर्धारण के निबंधन अयुक्तियुक्त या अवैध या एकत्रफा नहीं हैं ; और
- (ख) यह कि पक्षकारों ने स्वेच्छा न कि किसी धमकी, प्रपीड़न या असम्यक असर के कारण परिनिर्धारण किया है ।

(6) लोक अदालत के सदस्यों को अपने समक्ष निकाले गए परिनिर्धारण में ही अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोक अदालतों का उपयोग बईमान पक्षकारों द्वारा कपट, कूटरचना, आदि करने के लिए न किया जाए, किसी तीसरे पक्षकार की सहायता से लोक अदालत के बाहर पक्षकारों द्वारा निकाले गए परिनिर्धारण पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए ।

(7) लोक अदालत कोई जमानत या पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद मंजूर नहीं करेगी ।

(8) मूल अधिनिर्णय न्यायिक अभिलेख (मुकदमेबाजी पूर्व मामले में मूल अधिनिर्णय विधिक सेवा प्राधिकरण या संबद्ध समिति के पास रखा जा सके) का भाग गठित करेगा और अधिनिर्णय की एक प्रति यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्षकार को सम्यक रूप से उनका सही होना प्रमाणित करते हुए निःशुल्क दी जाएगी और संबद्ध प्राधिकरण या समिति की शासकीय मुद्रा सभी अधिनिर्णयों पर लगी होगी

18. गोपनीयता-(1) लोक अदालत के सदस्य और पक्षकार लोक अदालत में कार्यवाहियों से संबंधित सभी विषयों को गोपनीय रखेंगे और लोक अदालत के सदस्यों को उसके सिवाय, जहां अधिनिर्णय के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक न हो, किसी न्यायालय के समक्ष लोक अदालत कार्यवाहियों में ऐसे विषयों को प्रकट करने के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(2) लोक अदालत के सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव और विवाद के संभव प्रशिनिर्धारण की बाबत लोक अदालत में कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त मत और की गई चर्चाओं या किसी पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति या लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही के अनुक्रम में पक्षकारों

के आचरण को अन्य न्यायालय या मध्यस्थ कार्यवाहियों में साझ्य में नहीं लाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) लोक अदालत के सदस्य किसी 'अन्य' कार्यवाही में ऐसी रीति में किसी पक्षकार के कथन अभिलिखित नहीं करेंगे या पक्षकारों के किसी आचरण या कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे जो न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष ऐसे पक्षकार के प्रतिकूल हो ।

(4) यदि लोक अदालत का कोई सदस्य गोपनीयता या नैतिक विषयों का अतिक्रमण करता है जो किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही के सदृश है तो ऐसा सदस्य लोक अदालत के सदस्यों के पैनल से हटाया जाएगा ।

19. लोक अदालत कार्यवाहियों की असफलता--यदि मुकदमा-पूर्व मामले का निर्णय लोक अदालत में नहीं होता है तो पक्षकारों को अन्य आनुकूलिक विवाद समाधान तकनीकों का अवलोकने या न्यायालय में जाने की सलाह दी जा सकेगी और उचित मामलों में उन्हें विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में भी सलाह दी जा सकेगी ।

20. परिणामों का संकलन--लोक अदालत के सब्र की समाप्ति पर यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, परिशिष्ट-2 में दिए गए प्रोफार्मा में राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए परिणामों का संकलन करेगा ।

21. लोक अदालत के सदस्यों के नामों का पैनल बनाए रखना--यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधि सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों में काम करने के लिए सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सांसाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का पैनल बनाए रखेगा ।

22. अधिनियम की धारा 20 के अधीन निर्दिष्ट मामलों के अभिलेख या अन्यथा बनाए रखने की प्रक्रिया--(1) यथास्थिति, सदस्य सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिहित अधिकारी, एक स्थायी रेजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें लोक अदालत के निर्देश के माध्यम से उसे प्राप्त सभी मामले या मुकदमे पूर्व विषयों की प्रविष्टि निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए की जाएंगी :

- (i) प्राप्ति की तारीख ;
- (ii) मामले या मुकदमा-पूर्व विषय की प्रकृति ;
- (iii) अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों ;
- (iv) समझौता या परिनिर्धारण की तारीख और ऐसी रीति जिसमें मामले या विषय का अंतिम रूप से निपटान किया गया था ; और
- (v) मामले की फाइल की वापसी की तारीख ।

(2) अधिनिर्णय की प्रति, यदि पारित होना गया है, विनियम 17 में कथित रीति में सम्यक रूप से प्रमाणित, स्थायी अभिलेख के रूप में यथास्थिति प्राधिकरण या समिति के कार्यालय में रखी जाएगी।

(3) मुकदमा-पूर्व लोक अदालतों के अधिनिर्णयों के मूल के अलावा अभिलेखों को लोक अदालत द्वारा मामले के निपटान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् नष्ट किए जा सकेंगे।

23. अधिवक्ताओं की उपस्थिति और लोक अदालतों के समक्ष मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-लोक अदालत में पक्षकारों की ओर से अधिवक्ताओं की उपस्थिति को वर्जित नहीं किया जाएगा और पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिवक्ताओं को लोक अदालत के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान अपनी पोशाक और बैंड पहनने से बचने की सलाह दी जा सकेगी।

24. विनियमों का लागू होना—उपरोक्त विनियम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों को समुचित परिवर्तनों सहित उसी रीति में लागू होंगे।

यू. शरत चन्द्रन, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन-III/4/123/09-असा.]

परिशिष्ट-1

लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन
..... प्राधिकरण / समिति द्वारा आयोजित)

याची/वादी/परिवादी :

प्रतिवादी/प्रत्यक्षी :

..... न्यायालय/प्राधिकरण/समिति की कार्यवाही संख्या :

उपार्थकता :-

न्यायिक अधिकारी/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम :

सदस्यों का नाम : (1)

(2)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार

निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदर्भ
की गई है तो यह वापस की जाएगी।

याची/वादी/परिवादी

प्रतिवादी/प्रत्यक्षी

न्यायिक अधिकारी

सदस्य

सदस्य

तारीख :

प्राधिकरण/समिति की मुद्रा)

परिशिष्ट-2

प्रोफार्मा

लोक अदालत में मामलों का निपटान

स्थान :			तारीख :		
			निपटाए गए मामले की प्रकृति		
क्रम सं०	मामला संख्या	पक्षकारों के नाम	सिविल	दावे	आपराधिक
कुल					

**NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2009

No. L/28/09-NALSA.— In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Authority hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called The National Legal Services Authority (Lok Adalats) Regulations, 2009.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) 'Act' means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);
 - (b) 'Lok Adalats' means Lok Adalats to be organised under section 19 of the Act;
 - (c) All other words and expressions used but not defined in these regulations and defined in the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) or the National Legal Services Authority Rules, 1995 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act or rules.
3. **Procedure for organising Lok Adalats.**— (1) Lok Adalats may be organised by the State Authorities or District Authorities or Supreme Court Legal Services Committee or High Court Legal Services Committee or, as the case may be, the Taluk Legal Services Committees at regular intervals and such Lok Adalats shall be organised for a definite geographical area as the aforesaid Authorities or Committees think fit;

Provided that, special Lok Adalats shall be organised for all Family Courts at regular intervals.

(2) The Member-Secretary or Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee may associate the members of the legal profession, college students, social organisations, charitable and philanthropic institutions and other similar organisations for organising the Lok Adalats.

4. Intimation to the State Authority.—The Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall inform the State Authority about the proposal to organise the Lok Adalat, well before the date on which the Lok Adalat is proposed to be organised, and furnish the following information to the State Authority, namely:—

- (i) the place and the date on which the Lok Adalat is proposed to be organised;
- (ii) whether any of the organisations as referred to in sub-regulation (2) of regulation above have agreed to associate themselves with Lok Adalat;
- (iii) categories and nature of cases, viz. pending cases or pre-litigation disputes proposed to be placed before the Lok Adalat;
- (iv) number of cases proposed to be brought before the Lok Adalat in each category;
- (v) any other information relevant to the convening and organising of the Lok Adalat.

5. Notice to parties concerned.—The Member-Secretary or Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee convening and organising the Lok Adalat shall inform every party concerned whose case is referred to the Adalat, well in time so as to afford him an opportunity of preparing himself for the Lok Adalat:

Provided that such notice may be dispensed with, if the court while referring the case to the Lok Adalat fixes or informs the date and time of the Lok Adalat in the presence of the parties and their advocates:

Provided further that if a party is not willing to refer their case to Lok Adalat, the case may be considered on its merits by the court concerned.

6. Composition of Lok Adalat.—

(a) At State Authority Level.—The Member-Secretary organising the Lok Adalat shall constitute benches of the Lok Adalats, each bench comprising of a sitting or retired Judge of the High Court or a serving or retired judicial officer and any one or both of the following:

- (i) a member from the legal profession; and
- (ii) a social worker of repute who is engaged in the upliftment of the weaker sections of people, including the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, women, children, rural and urban labour and interested in the implementation of legal services schemes or programmes.

(b) At High Court Level.—The Secretary of the High Court Legal Services Committee organising the Lok Adalat shall constitute benches of the Lok Adalats, each bench comprising of a sitting or retired Judge of the High Court or a serving or retired judicial officer and any one or both of the following:

- (i) a member from the legal profession;
- (ii) a social worker belonging to the category as mentioned in item (ii) of sub-para (a) above.

(c) At District Level.—The Secretary of the District Authority organising the Lok Adalats shall constitute benches of the Lok Adalats, each bench comprising of a sitting or retired judicial officer and any one or both of the following:

- (i) a member from the legal profession;
- (ii) a social worker belonging to the category as mentioned in item (ii) of sub-para (a) above or a person engaged in para-legal activities of the area, preferably a woman.

(d) At Taluk Level.—The Chairman of the Taluk Legal Services Committee organising the Lok Adalat shall constitute benches of the Lok Adalat, each bench comprising of a sitting or retired judicial officer and any one or both of the following:

- (i) a member from the legal profession; and
- (ii) a social worker belonging to the category as mentioned in item (ii) of sub-para (a) above or a person engaged in para-legal activities of the area, preferably a woman.

7. Allotment of cases to Lok Adalats.—(1) The Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committee, the District Authority or Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall assign specific cases to each bench of the Lok Adalat.

(2) The Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committee or the District Authority or Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, may prepare a cause list for each bench of the Lok Adalat and intimate the same to all concerned at least two days before the date of holding of the Lok Adalat.

(3) Every bench of the Lok Adalat shall make sincere efforts to bring about a conciliated settlement in every case put before it without bringing about any kind of coercion, threat, undue influence, allurement or misrepresentation.

8. Holding of Lok Adalats.—Lok Adalats may be organised at such time and place and on such days, including holidays as the State Authority, the High Court Legal Services Committee, the District Authority or the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, organising the Lok Adalat deems appropriate.

9. Jurisdiction of Lok Adalats.—Lok Adalats shall have the power only to help the parties to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute and, while so doing, it shall not issue any direction or order in respect of such dispute between the parties.

10. Reference of cases and matters.—(1) Lok Adalat shall get jurisdiction to deal with a case only when a court of competent jurisdiction orders the case to be referred in the manner prescribed in section 20 of the Act or under section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) A mechanical reference of pending cases to Lok Adalat shall be avoided and the referring court shall, *prima facie* satisfy itself that there are chances of settlement of the case through Lok Adalat and the case is appropriate to be referred to Lok Adalat:

Provided that matters relating to divorce and criminal cases which are not compoundable under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall not be referred to Lok Adalat.

(3) In a pending case where only one of the parties had made application to the court for referring the case to Lok Adalat, or where the court *suo motu* is satisfied that the case is appropriate to take cognizance by Lok Adalat, the case shall not be referred to the Lok Adalat except after giving a reasonable opportunity of being heard to the parties.

11. Summoning of records and responsibility for its safe custody.—(1) The Member-Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committee, the District Authority or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee may call for the judicial records of pending cases which are referred to the Lok Adalat under section 20 of the Act from the courts concerned.

(2) The officer duly authorised by the Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committee, the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall be responsible for the safe custody of records from receiving of the same from court till they are returned.

(3) The judicial records shall be returned within ten days of the Lok Adalat irrespective of whether or not the case is settled by the Lok Adalat with an endorsement about the result of proceedings:

Provided that wherever it is appropriate, the court concerned from where the records are called may permit the records to be retained beyond the period of ten days.

(4) Every judicial authority is expected to co-operate in transmission of the judicial records.

12. Pre-litigation matters.—(1) In a pre-litigation matter it may be ensured that the court for which a Lok Adalat is organised has territorial jurisdiction to adjudicate in the matter.

(2) Before referring a pre-litigation matter to Lok Adalat the Authority concerned or Committee, as the case may be, shall give a reasonable hearing to the parties concerned:

Provided that the version of each party, shall be obtained by the Authority concerned or, as the case may be, the Committee for placing it before the Lok Adalat,

(3) An award based on settlement between the parties can be challenged only on violation of procedure prescribed in section 20 of the Act by filing a petition under articles 226 and 227 of the Constitution of India.

13. Procedure in Lok Adalats.— (1) Members of Lok Adalat have the role of statutory conciliators only and have no judicial role and they, *mutatis mutandis*, may follow the procedure laid down in sections 67 to 76 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).

(2) Members of Lok Adalat shall not pressurise or coerce any of the parties, to compromise or settle cases or matters, either directly or indirectly.

(3) In a Lok Adalat the members shall discuss the subject matter with the parties for arriving at a just settlement or compromise and such members of Lok Adalat shall assist the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach amicable settlement of their dispute:

Provided that if it found necessary the assistance of an independent person or a trained mediator may also be availed by the Lok Adalat.

(4) Members of Lok Adalat shall be guided by principles of natural justice, equity, fairplay, objectivity, giving consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, custom and usages and the circumstances surrounding the dispute.

(5) The Lok Adalat may conduct the proceedings in such a manner as it considers appropriate taking into account the circumstances of the case, wishes of the parties including any request by a party to the Lok Adalat to hear oral statements, and the need for a speedy settlement of the dispute.

(6) The Lok Adalat shall not determine a reference, at its own instance, but shall determine only on the basis of a compromise or settlement between the parties by making an award in terms of the compromise or settlement arrived at:

Provided that no Lok Adalat has the power to hear the parties to adjudicate their dispute as a regular court:

Provided further that the award of the Lok Adalat is neither a verdict nor an opinion arrived at by any decision making process.

14. Administrative assistance.—Administrative assistance for facilitating Lok Adalat proceedings may be arranged by suitable institutions or persons engaged in providing legal services.

15. Formulating compromise or settlements.— The Lok Adalat may, at any stage of the proceedings, make proposal for a settlement of the dispute and such proposal need not be accompanied by a statement of the reasons therefor.

16. Communication between Lok Adalat and parties.— (1) A Lok Adalat may invite the parties to meet it or may communicate with it orally or in writing and it may meet or communicate with the parties together or with each of them separately. The factual information concerning the

dispute received from a party may be disclosed to the other party in order that the other party may have the opportunity to present any explanation:

Provided that the Lok Adalat shall not disclose any information, if one of the party desires to keep it confidential.

(2) Each party may on its own initiative or at the invitation of the Lok Adalat, submit suggestions for settlement of the dispute.

(3) When it appears to the Lok Adalat that there exists elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the terms of a possible settlement may be formulated by the Lok Adalat and given to the parties for their observations and modifications, if any, suggested by the parties can be taken into consideration and terms of a possible settlement may be re-formulated by the Lok Adalat.

(4) If the parties reach a compromise or settlement of the dispute, the Lok Adalat may draw up or assist the parties in drawing up the terms of such compromise or settlement.

17. Award.—(1) Drawing up of the award is merely an administrative act by incorporating the terms of settlement or compromise agreed by the parties under the guidance and assistance from Lok Adalat.

(2) When both parties sign or affix their thumb impression and the members of the Lok Adalat countersign it, it becomes an award. (see a specimen at Appendix-I) Every award of the Lok Adalat shall be categorical and lucid and shall be written in regional language used in the local courts or in English. It shall also contain particulars of the case, viz., case number, name of court and names of parties, date of receipt, register number assigned to the case in the permanent register (maintained as provided under regulation 20) and date of settlement. Wherever the parties are represented by counsel, they should also be required to sign the settlement or award. The members of the Lok Adalat affix their signature.

(3) In cases referred to Lok Adalat from a court, it shall be mentioned in the award that the plaintiff or petitioner is entitled to refund of the court fees remitted.

(4) Where the parties are not accompanied or represented by counsel, the members of the Lok Adalat shall also verify the identity of parties, before recording the settlement.

(5) Member of the Lok Adalat shall ensure that the parties affix their signatures only after fully understanding the terms of settlement arrived at and recorded. The members of the Lok Adalat shall also satisfy themselves about the following before affixing their signatures:

(a) that the terms of settlement are not unreasonable or illegal or one-sided; and

(b) that the parties have entered into the settlement voluntarily and not on account of any threat, coercion or undue influence.

(6) Members of the Lok Adalat should affix their signatures only in settlement reached before them and should avoid affixing signatures to settlement reached by the parties outside the Lok Adalat with the assistance of some third parties, to ensure that the Lok Adalats are not used by unscrupulous parties to commit fraud, forgery, etc.

(7) Lok Adalat shall not grant any bail or a divorce by mutual consent.

(8) The original award shall form part of the judicial records (in pre-litigation matter, the original award may be kept with the Legal Services Authority or Committee, concerned) and a copy of the award shall be given to each of the parties duly certifying them to be true by the officer designated by the Member-Secretary or Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Legal Services Authority or, as the case may be, the Chairman of Taluk Legal Services Committees free of cost and the official seal of the Authority concerned or Committee shall be affixed on all awards.

18. Confidentiality.— (1) The members of the Lok Adalat and the parties shall keep confidential all matters relating to the proceedings in the Lok Adalat and the members of the Lok Adalat shall not be compelled to disclose the matters which took place in the Lok Adalat proceedings before any court of law, except where such disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement of the award.

views expressed and discussions made by parties during the proceedings of Lok Adalat in respect of the possible settlement of a dispute and the proposals made by the members of Lok Adalat or admission made by any party or the conduct of the parties in the course of the proceeding before Lok Adalat shall not be brought in evidence or made use of in other court or arbitral proceedings.

(3) Members of the Lok Adalat shall not record the statement of any of the parties or record any conduct of the parties or express any opinion in such a manner as it would prejudice such party in any other proceedings before a court or arbitrator.

(4) If any member of the Lok Adalat violates the confidentiality and the ethical concerns which are akin to any other judicial proceedings, such member shall be removed from the panel of members of Lok Adalat.

19. Failure of Lok Adalat proceedings.— If a pre-litigation matter is not settled in the Lok Adalat, the parties may be advised to resort to other Alternative Dispute Resolution (ADR) techniques or to approach a court of law and in appropriate cases they may be advised about the availability of legal aid.

20. Compilation of results.—At the conclusion of session of the Lok Adalat, the officer designated by the Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services Committee, the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as case may be, shall compile the results for submission to the State Authority in the proforma given in Appendix-II.

21. Maintenance of panel of names of Lok Adalat members.—The Member Secretary or Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee shall maintain a panel of names of retired judicial officers, advocates and social workers to work in Lok Adalats.

22. Procedure for maintaining record of cases referred under section 20 of the Act, or otherwise.—(1) The officer designated by the Member Secretary, the Secretary of the High Court Legal Services committee, the District Authority or the Chairman of the Taluk Legal Services Committee, as the case may be, shall maintain a permanent register wherein all the cases and pre-litigation matters received by him by way of reference to the Lok Adalat shall be entered giving particulars of:

- (i) date of receipt;
- (ii) nature of the case or pre-litigation matter;
- (iii) other particulars, if any;
- (iv) date of compromise or settlement and the manner in which the case or matter was finally disposed of; and
- (v) date of return of the case file.

(2) A copy of the award, if passed, duly certified in the manner stated in regulation 17 shall be kept in the office of the Authority or Committee, as the case may be, as a permanent record.

(3) Records other than the original of the awards of pre-litigation Lok Adalats may be destroyed after a period of three years from the date of disposal of the matter by Lok Adalat.

23. Appearance of lawyers and the procedure to be followed in the cases before Lok Adalats.—The appearance of lawyers on behalf of the parties at the Lok Adalat shall be barred and an effort shall be made to encourage the parties to be present personally. The lawyers may be advised to avoid wearing their robes and bands during the proceedings before the Lok Adalat.

24. Application of regulations.—The above regulations shall be applicable in the same manner with appropriate changes to the Lok Adalats organised by the National Legal Services Authority and the Supreme Court Legal Services Committee.

U. SARATH CHANDRAN, Member Secy.

[ADVT-II/4/123/09-Exly.]